

NRrhl x<+ 'kkl u
foRr foHkx
%e=ky; %
nkÅ dY; k.k fl g Hkou] jk; i j

क्रमांक 457 / 101 / 09 / वित्त / ब-4 / चार
प्रति,

रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल, 2009

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

----- विभाग,

मंत्रालय, रायपुर ।

fo"k; &o"l 2008&09 dh vfire frekgh ds vk; &0; ; dh l eh{k ds l xk eaA

&&&&&&&

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत वर्ष 2008-09 की अंतिम तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा की जानी है । इस समीक्षा की तिथि से विभागों को यथासमय अवगत कराया जावेगा । कृपया समीक्षा हेतु वर्ष 2008-09 की अंतिम तिमाही की आय-व्यय की जानकारी संलग्न प्रपत्रों अनुसार वित्त विभाग को दिनांक **30-04-2009** तक अनिवार्यतः उपलब्ध करवाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें। यह प्रपत्र इस विभाग की वेबसाइट <http://finance.cg.gov.in> से डाउनलोड कर भी प्राप्त किये जा सकते हैं । जिन विभागों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है वह यह जानकारी सीधे इंटरनेट के माध्यम से वित्त विभाग को प्रेषित कर सकते हैं । इस हेतु वेबसाइट <http://finance.cg.gov.in/fmis.htm> में दिये गये गये साफ्टवेयर में प्रविष्टि की जावे । प्रविष्टि में समस्या आने पर दूरभाष क्रमांक 4080534 से संपर्क किया जा सकता है ।
संलग्न-उपरोक्तानुसार



¼ rh'k ik.Ms ½


संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल, 2009

पृ.क. 458 / 101 / 09 / वित्त / ब-4 / चार
प्रतिलिपि-

1. स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग ।
2. निज सहायक, सचिव, वित्त विभाग ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष / बजट नियंत्रक अधिकारी ।
4. संयुक्त सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / विशेष कर्तव्य अधिकारी वित्त विभाग,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



voj l fpo

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

